न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 265/2021

श्री बसन्तीलाल सेवानिवृत्त अध्यापक, निवासी वार्ड न0 13, खेतडी, जिला झुंझुनूं (राज0)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी) झुंझुनूं।

—

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 03.01.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 14.12.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 265/2021 पर दिनांक 14.12.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (कोषाअधिकारी) झुंझुन के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी) झुंझुन को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी) झुंझुन से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020 /3888—89 दिनांक 14.12.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी) झुंझुन ने पत्रांक 1914 दिनांक 28.12.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री बसन्तीलाल, सेवानिवृत अध्यापक, वार्ड नं0 17, खेतडी (झुंझुनूं द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गम मांगी गई जानकारी एवं इस बारे मे इस कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही के बारे मे वस्तुस्थिति की रिपोर्ट इस प्रकार है कि कार्यालय जिला कलक्टर झुंझुनूं के पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/09/177 दिनांक 08.06.2021 के द्वारा श्री बसन्तीलाल के द्वारा श्री जुगल किशोर वर्मा, अध्यापक रा0प्रा0वि0 संस्कृत विघालय खेतडी के भवन ऋण 68,000/— रूपये के अदेय प्रमाण पत्र की प्रमाणित कापी चाही गई थी। इस बाबत इस कार्यालय के पत्रांक कोष/आरटीआई/2021/332 दिनांक 25.06.2021 द्वारा सूचित किया गया कि आप द्वारा अदेय प्रमाण पत्र के बारे मे पूर्ण विवरण उपलब्ध नही कराये जाने के कारण वांछित सूचना की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराया जाना संभव नही है। इस कार्यालय के पत्रांक 443 दिनांक 15.07.2021 के द्वारा श्री बसन्तीलाल (आवेदक) को पुनः लिखा गया कि आप द्वारा पूर्ण सूचना (विवरण) उपलब्ध नही कराये जाने के कारण सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नही है। आप द्वारा अदेय प्रमाण पत्र का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराये जाने पर इस कार्यालय द्वारा सूचना उपलब्ध करा दी जावेगी। श्री बसन्तीलाल (आवेदक) द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर दिनांक 17.07.2021, 19.07.2021, 22.07.2021 एवं 23.07.2021 पर परिवाद दर्ज करवाया जाकर श्री जुगल किशोर वर्मा के द्वारा भवन ऋण 68,000/— रूपये राजकोष मे जमा कराया गया है या नही, बाबत जानकारी मांगी गई। श्री बसन्तीलाल (आवेदक) को इस कार्यालय के पत्रांक कोष/आरटीआई/2020—21/585 दिनांक 10.08.2021 द्वारा सूचित किया गया गया कि आप द्वारा श्री जुगल किशोर अध्यापक के भवन ऋण के संबंध मे मांगी गई सूचना अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (जे) के अनुसार आपको नही दी सकती है। श्रीमान् जिला कलक्टर झुंझुनूं के पत्रांक 336 दिनांक 10.09.2021 के द्वारा श्री बसन्तीलाल (आवेदक) द्वारा श्री जुगल किशोर अध्यापक के भवन ऋण 68,000/— रूपये जमा होने के बारे मे स्पष्ट जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत चाही गई थी। इस कार्यालय के पत्रांक कोष/आरटीआई/2021/1040 दिनांक 11.10.2021 के द्वारा श्री बसन्तीलाल (आवेदक) को सूचित किया गया कि आप द्वारा श्री जुगल किशोर, अध्यापक के भवन ऋण के संबंध मे मांगी गई सूचना अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (जे) के

जिला कलक्टर झुंझुनूं

अनुसार आपको नही दी जा सकती है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की कृपा करे।

5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।

6. लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी) झुंझुन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पत्रांक 1914 दिनांक 28.12.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री बसन्तीलाल, सेवानिवृत अध्यापक, वार्ड नं0 17, खेतडी (झुंझुनूं द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गम मांगी गई जानकारी एवं इस बारे मे उनके कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही के बारे मे वस्तुस्थिति की रिपोर्ट इस प्रकार है कि कार्यालय जिला कलक्टर झुंझुनूं के पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/09/177 दिनांक 08.06.2021 के द्वारा श्री बसन्तीलाल के द्वारा श्री जुगल किशोर वर्मा, अध्यापक रा0प्रा0वि0 संस्कृत विघालय खेतडी के भवन ऋण 68,000/- रूपये के अदेय प्रमाण पत्र की प्रमाणित कापी चाही गई थी। इस बाबत उनके कार्यालय के पत्रांक कोष/आरटीआई/2021/332 दिनांक 25.06.2021 द्वारा सूचित किया गया कि आप द्वारा अदेय प्रमाण पत्र के बारे मे पूर्ण विवरण उपलब्ध नही कराये जाने के कारण वांछित सूचना की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराया जाना संभव नही है। उनके कार्यालय के पत्रांक 443 दिनांक 15.07.2021 के द्वारा श्री बसन्तीलाल (आवेदक) को पुनः लिखा गया कि आप द्वारा पूर्ण सूचना (विवरण) उपलब्ध नही कराये जाने के कारण सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नही है। आप द्वारा अदेय प्रमाण पत्र का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराये जाने पर उनके कार्यालय द्वारा सूचना उपलब्ध करा दी जावेगी। श्री बसन्तीलाल (आवेदक) द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर दिनांक 17.07.2021, 19.07.2021, 22.07.2021 एवं 23.07.2021 पर परिवाद दर्ज करवाया जाकर श्री जुगल किशोर वर्मा के द्वारा भवन ऋण 68,000/- रूपये राजकोष मे जमा कराया गया है या नही, बाबत जानकारी मांगी गई। श्री बसन्तीलाल (आवेदक) को उनके कार्यालय के पत्रांक कोष/आरटीआई/2020-21/585 दिनांक 10.08.2021 द्वारा सूचित किया गया गया कि आप द्वारा श्री जुगल किशोर अध्यापक के भवन ऋण के संबंध मे मांगी गई सूचना अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (जे) के अनुसार आपको नही दी सकती है। श्रीमान् जिला कलक्टर झुंझुनूं के पत्रांक 336 दिनांक 10.09.2021 के द्वारा श्री बसन्तीलाल (आवेदक) द्वारा श्री जुगल किशोर अध्यापक के भवन ऋण 68,000/- रूपये जमा होने के बारे मे स्पष्ट जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत चाही गई थी। उनके कार्यालय के पत्रांक कोष/आरटीआई/2021/1040 दिनांक 11.10.2021 के द्वारा श्री बसन्तीलाल (आवेदक) को सूचित किया गया कि आप द्वारा श्री जुगल किशोर, अध्यापक के भवन ऋण के संबंध मे मांगी गई सूचना अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (जे) के अनुसार आपको नही दी जा सकती है। चूंकि अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी की सूचना उसकी सहमति से दी जा सकती है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी) झुंझुनूं को आदेश दिये जाते है कि प्रकरण मे श्री जगुल किशोर, अध्यापक से सहमति प्राप्त हो तो संबंधित सूचना प्रार्थी को दे दी जावे।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 03.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं
03/01/22